29 B

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NO AL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CS 391750

राम आसरे पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट

ट्रस्ट-विलेख-

1. मैं राम आसरे पटेल पुत्र नीमर पटेल, निवासी-मकान सं0-84 ग्राम-अधारपुर, पूरे सेवक राय का पुरवा, पो0-किशुनगंज, जिला-प्रतापगढ़- 230001, (उ0प्र0)।

'' सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय,'' की भावना से दलितों, पिछड़ों एवं अन्य निर्धन व्यक्तियों के मध्य सेवा कार्य करते हुए, उनके आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु एक ट्रस्ट का होना आवश्यक समझता हूँ।

अतः आज दिनांक 6.4.17 को मैं राम आसरे पटेल ट्रस्टकर्ता के रूप में रुपये 7999/-रू0 (सात हजार नौ सौ निन्यावे रुपये मात्र) प्रदान कर ''राम आसरे पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट'' सृजित करता हूँ, उपरोक्त राशि ट्रस्ट कोष के रूप में उसकी स्थायी सम्पत्ति होगी। जो ट्रस्ट के बैंक खाते में स्थाई रूप से जमा रहेगी। ट्रस्ट में 03 (तीन) ट्रस्टी होंगे। ट्रस्ट का एक आजीवन मैनेजिंग ट्रस्टी होगा, जिसे ट्रस्ट की ओर से सम्पत्तियों के क्रय-विक्रय करने, किराये पर देने व लेने, लीज पर देने व लेने तथा अनुदान लेने व देने के अभिलेखों पर निर्णय एवं हस्ताक्षर करने एवं राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था से लोन लेने का विधिक/ न्यायिक अधिकार होगा। मैनेजिंग ट्रस्टी को अन्य ट्रस्टियों को नियुक्त करना, ट्रस्टी मण्डल का गठन करना, ट्रस्टियों को हटाने तथा ट्रस्टी मण्डल को भंग करने की संस्तुति, तथा नये ट्रस्ट मण्डल के गठन का अधिकार होगा।

मैं ट्रस्ट का आजीवन मैनेजिंग ट्रस्टी रहूँगा मेरे बाद मेरे पुत्र या वारिस ही उक्त ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी होगा।

2. ट्रस्ट का नाम- ''राम आसरे पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट''

3. ट्रस्ट का मुख्यालय-मकान सं0- ग्राम-अधारपुर, पूरे सेवक राय का पुरवा, पो0-किशुनगंज, जिला-प्रतापगढ़- 230001, (उ0प्र0) तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा। आवश्यकतानुसार मैनेजिंग ट्रस्टी के पास यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के मुख्यालय को किसी अन्य स्थान पर परिवर्तित कर सकता है। ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट के और भी सह-कार्यालय भारतवर्ष में तथा विदेशों में किसी भी स्थान पर खोलने व बन्द करने एवं स्थान परिवर्तित करने का भी विधिक अधिकार होगा।

.....2

क्र०सं० 479 2-11-06 मूल्य 100/-

नाम [illegible]

द्वारा [illegible]

नि० पता [illegible]

[illegible]

[illegible] मिश्र [illegible] 17

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CS 391749

14 SEP

कोषा0-प्रतापगढ़

4. ट्रस्ट के उद्देश्य –

1. शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु प्राथमिक विद्यालय, इण्टर कालेज, तकनीकी विद्यालय, शिक्षक–प्रशिक्षण कॉलेज, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मैनजमेन्ट, विधि कॉलेज, बी0एड0 कालेज, बी0टी0सी0 कालेज, पालीटेक्निक कॉलेज, फार्मेसी आई0टी0आई0 कालेज, बायोटेक संस्थान, चिकित्सा/मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कालेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान आदि को स्थापित एवं संचालित करना।
2. गरीब/निर्धन छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करना, वृद्धाश्रम एवं अनाथालय का निर्माण एवं व्यवस्था करना।
3. चिकित्सालय, नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम, मेडिकल स्टोर आदि का निर्माण एवं संचालित करना।
4. नेत्र एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविरों का आयोजन करना।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना।
6. विकलांग केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।
7. दलितों एवं पिछड़े/कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु कुटीर उद्योगों को स्थापित कर उन्हें आत्म–निर्भर बनाना।
8. अन्य समितियों तथा ट्रस्ट द्वारा हस्तान्तरित विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक शिक्षण संस्थानों का ग्रहण एवं संचालन करना।
9. धार्मिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा उनका प्रबन्धन करना।
10. शिक्षा और अनुसंधान के प्रसार के लिए समारोह, व्याख्यान, वाद–विवाद तथा चर्चा, सेमिनार का आयोजन करने के लिए इंजीनियरों, डाक्टरों और शोधकर्ताओं के अंतराष्ट्रीय गठबन्धन (Doctors and Researchers) [AEDR] का निर्माण करना तथा इसे देश व विदेशों में संचालित करना।
11. शिक्षा और अनुसंधान के प्रसार के लिए साहित्य, शोध–पत्र, पत्रिकाओं, सम्मेलन कार्यवाही किताब और पुस्तकों का सम्पादन एवं प्रकाशन तथा इसे देश व विदेशों में वितरण करना तथा क्रय करना।

बसा0 1100 2-14716 1031

नाम

ग्राम

जिला प्रताप...

श्रीप्रकाश मिश्र ...-17
...
सदर-प्रतापगढ़

शासा पत्र

7,999.00	360.00	60	220.00	20
व्याज की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्री रामआसरे पटेल

पुत्र श्री नीमर पटेल

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी मकान न.04 अधारपुर पूरे सेवक राय कापुरवा प्रतापगढ़

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 6/4/2017 समय 1:41PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार
उप निबन्धक सदर
प्रतापगढ़
6/4/2017

2100 81100

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

व्याशी

श्री रामआसरे पटेल
पुत्र श्री नीमर पटेल
पेशा कृषि
निवासी मकान न.04 अधारपुर पूरे सेवक राय
कापुरवा प्रतापगढ़

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान रामअनुराग
रामआसरे
पेशा कृषि
निवासी अधारपुर सदरप्रतापगढ़
व छंगूराम वर्मा
रामभरोस
पेशा वकालत
निवासी छोनियामऊ अंतू प्रतापगढ़
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के [illegible] निशानअंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार
उप निबन्धक सदर
प्रतापगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CV 382425

27 OCT 2016

कोषा0-प्रतापगढ़

12. ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दान, ऋण, छूट, सहायता, अनुदान आदि धन या वस्तु के रूप में प्राप्त करना।
13. सामाजिक सौहार्द के लिए कार्य करना।
14. महिला, युवा, बाल एवं कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना।
15. समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों महानुभावों के सम्मान में गोष्ठियों का आयोजन करना तथा उन्हें स्मृति–पदक देकर सम्मानित करना।
16. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना।
17. विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों स्वयंसेवी संस्थाओं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों से सम्पर्क स्थापित कर मानव विकास हेतु के लिए मिलकर कार्य करना तथा उपरोक्त संस्थाओं से दान सहायता एवं अनुदान राशि प्राप्त करना तथा उसे ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किये गये कार्यों में व्यय करना।
18. विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु शोध–प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार एवं सम्मेलन का आयोजन एवं प्रचार सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन करना।
19. विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु शोध–पत्र, पत्रिकाओं, सम्मेलन कार्यवाही पुस्तक, शोध–पत्रिकाओं और पुस्तकों का सम्पादन एवं प्रकाशन करना तथा इसे देश व विदेशों में वितरण तथा क्रय–विक्रय करना।
20. कृषि विकास भूमि सुधार एवं जल संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रचार एवं प्रसार करना।

5. **ट्रस्ट की आय** – ट्रस्ट की आय उसकी स्थायी कोष में जमा राशि एवं उसका ब्याज, लाभांश, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा अनुदान, जन–प्रतिनिधियों द्वारा दी गयी सहायता राशि, उदार व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चल–अचल सम्पत्ति, जनप्रतिनिधियों द्वारा ली गयी सदस्यता शुल्क, ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा प्राप्त धनराशि तथा ट्रस्ट की अन्य सम्पत्तियों एवं कार्यों से प्राप्त धनराशि आदि से होगी। जिसका उपयोग ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं ट्रस्ट के विस्तार कार्यों में किया जायेगा। ट्रस्ट की समस्त आय किसी मान्यता

शोभनाथ मिश्र लाइ0 नं0-17
स्टाम्प वि0 रजि0 कार्या0
सदर-प्रतापगढ़

Registration No.: 29 Year: 2,017 Book No.: 4

0101 रामआसरे पटेल

शंकर पटेल

मकान न.64 अजगरपुर पुरे सेवक राय

कृषि

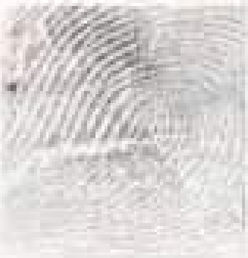

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रू. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

27 OCT 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CV 382424

कोषा0-प्रतापगढ़

प्राप्त राष्ट्रीय बैंक में ट्रस्ट के नाम बचत एवं चालू खाता खोलकर रखा जायेगा। इस खाते का संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी व एक ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

6. **ट्रस्ट का गठन –**

ट्रस्ट के उद्देश्यों में रूचि एवं आस्था रखने वाले महानुभाव, जो इस प्रकार हैं –

क्र0 सं0	ट्रस्टी का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	निवासी
1	श्री राम आसरे पटेल	श्री भीखर पटेल	मैनेजिंग ट्रस्टी	ग्राम-अधारपुर, पुरे सेवक राय का पुरवा, पो0-किशुनगंज, तहसील-सदर, जिला-प्रतापगढ़-230 001
2.	श्रीमती मालती पटेल	श्री राम करन पटेल	ट्रस्टी	ग्राम-अधारपुर, पुरे सेवक राय का पुरवा, पो0-किशुनगंज, तहसील-सदर, जिला-प्रतापगढ़-230 001
3.	श्रीमती शान्ती पटेल	श्री राम अनुराग पटेल	ट्रस्टी	

उपरोक्त 3 ट्रस्टी इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे जो वर्तमान ट्रस्टी मण्डल का गठन करेंगे।

7. **ट्रस्टियों की नियुक्ति –**

18 वर्ष से अधिक आयु एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों में रूचि रखने वाले कुर्मी जाति के व्यक्तियों को ही मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्टी नियुक्त कर सकता है।

8. **ट्रस्टी मण्डल (GOVERNING BOARD OF TRUSTEE) का गठन एवं उद्देश्य**

1. ट्रस्टी मण्डल का गठन वर्तमान ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुमोदन के बाद ही सामाजिक व्यक्तियों को ट्रस्टी मण्डल का ट्रस्टी सदस्य बनाया जा सकता है।
2. ट्रस्ट एवं उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, ट्रस्टी एक ट्रस्टी मण्डल (GOVERNING BOARD OF TRUSTEE) का गठन करेंगे। ट्रस्टी मण्डल में ट्रस्टी सदस्यों की न्यूनतम संख्या 3 हो सकती है। ट्रस्टी मण्डल में ट्रस्टी सदस्यों की न्यूनतम संख्या को बढ़ाने के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी नये आवेदक सदस्य का अनुमोदन करेगा उसके उपरान्त कोषाध्यक्ष नये आवेदक सदस्य द्वारा अनुदान की गयी राशि की रसीद काटेगा उसके उपरान्त वह राशि उस आवेदक सदस्य से उसके बैंक चेक के माध्यम से कोषाध्यक्ष ट्रस्ट के बैंक खाते में डालेगा। ट्रस्ट खाते में अनुदान राशि आने के बाद ही ट्रस्टी मण्डल की सर्वसम्मति बहुमत के बाद सदस्यता दी जायेगी।

शोभनाथ मिश्र स्टा० न०- 17
स्टाम्प विक्रेता कार्यालय
सदर-प्रतापगढ़

Registration No.: 29 Year: 2017 Book No.: 4

W1 रामअनुराग
रामअवधे
अमरपुर सदरप्रतापगढ़
कृषि

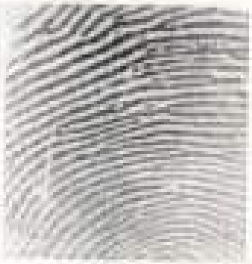

W2 प्रभुराज वर्मा
रामनरेश
लोनियापुर अंतु प्रतापगढ़
वकालत

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषा0-प्रतापगढ़

27 OCT 2016

CV 382423

3. ट्रस्ट एवं उसके द्वारा समस्त संचालित संस्थाओं और सह संस्थाओं को समस्त सम्पत्ति ट्रस्ट में निहित होगी। ट्रस्टी मण्डल इस सम्पत्ति को ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा करेगा, देखभाल करेगा, प्रबंधन करेगा तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इसका उपयोग व उपभोग करेगा। ट्रस्टी मण्डल द्वारा सर्वसम्मति अथवा बहुमत से लिए गये निर्णयों के अन्तर्गत सभी कार्य सम्पादित होंगे।

9. **ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारी –**

ट्रस्ट की गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालन तथा ट्रस्टी मण्डल के गठन हेतु निम्न पद एवं पदाधिकारी होंगे–

अध्यक्ष – श्री राम आसरे पटेल पुत्र श्री नीमर पटेल निवासी ग्राम–अधारपुर, पूरे सेवक राय का पुरवा, पो0–किशुनगंज, तहसील–सदर, जिला–प्रतापगढ़–230001 (उ0प्र0)।

सचिव – श्रीमती मालती पटेल पत्नी श्री राम करन पटेल निवासी ग्राम–अधारपुर, पूरे सेवक राय का पुरवा, पो0–किशुनगंज, तहसील–सदर, जिला–प्रतापगढ़–230001 (उ0प्र0)।

कोषाध्यक्ष – श्रीमती शान्ती पटेल पत्नी श्री राम अनुराग पटेल निवासी ग्राम–अधारपुर, पूरे सेवक राय का पुरवा, पो0–किशुनगंज, तहसील–सदर, जिला–प्रतापगढ़–230001 (उ0प्र0)।

उपरोक्त पदाधिकारी अपने जीवनकाल तक अपने पदों पर बने रहेंगे, जब तक कि उन्हें ट्रस्ट द्वारा बहुमत (2/3) से पदच्युत न किया जाय। सदैव ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष पद पर मैनेजिंग ट्रस्टी ही पदेन होंगे तथा शेष दो अन्य पदों का चयन ट्रस्टी द्वारा ट्रस्टियों में से ही किया जायेगा।

10. **ट्रस्टी एवं ट्रस्टी मण्डल की सदस्यता समाप्ति –**

1. ट्रस्टी के त्याग पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर।
2. ट्रस्ट के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर।
3. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने पर।
4. अध्यक्ष को बिना लिखित बताये, ट्रस्टी मण्डल की तीन लगातार बैठकों में भाग न लेना।

क्रमांक [illegible] दिनांक [illegible] कीमत [illegible]

नाम [illegible]

पता [illegible] [illegible]

सिंह [illegible]

ओमप्रकाश सिंह [illegible] 17

[illegible]

सदर-प्रतापगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH कोषा0-प्रतापगढ़ CV 382422

5. मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी ट्रस्टी को बिना कारण बताये, उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है तथा उसके स्थान पर किसी अन्य सामाजिक व्यक्ति को ट्रस्टी नियुक्त कर सकता है।

6. मैनेजिंग ट्रस्टी को यह विशेषाधिकार होगा कि वह ट्रस्ट में रिक्त/अतिरिक्त पदों पर ट्रस्टियों की नियुक्त करे या न करे।

11. **ट्रस्टी मण्डल की बैठकें –**

ट्रस्टी मण्डल की वर्ष में एक बार बैठक जून/जुलाई माह में हुआ करेगी। आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्टी मण्डल की अन्य बैठकें भी हो सकती है। ट्रस्टी मण्डल की बैठक की लिखित सूचना एवं एजेण्डा कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रत्येक ट्रस्टी को प्राप्त करा दी जायेगी। आकस्मिक बैठकें एक दिन के अन्दर बुलाई जा सकती है। आपात स्थिति में ट्रस्ट सम्बन्धी त्वरित निर्णय मैनेजिंग ट्रस्ट द्वारा लिया जा सकता है। जिसका ट्रस्टी मण्डल की बैठक बुलाकर अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ट्रस्टी मण्डल की बैठक का कोरम कम से कम 3 सदस्यों की उपस्थिति से होगी। किन्तु स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

12. **ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व –**

अध्यक्ष –

अध्यक्ष ट्रस्टी मण्डल की बैठकों को आहूत करने के लिए सचिव को निर्देश देगा तथा उसकी अध्यक्षता करेगा। वह मतदान में भाग नहीं लेगा। वह ट्रस्टी मण्डल के निर्णयों की घोषणा करेगा। बराबर मतों की स्थिति में उसका मत निर्णायक एवं सर्वमान्य होगा। अध्यक्षकीअनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित वरिष्ठतम ट्रस्टी उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा।

सचिव –

सचिव ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वह अध्यक्ष के निर्देश पर बैठक आहूत करेगा, ट्रस्ट की बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेखन करेगा तथा ट्रस्ट के समस्त अभिलेखों को ट्रस्ट कार्यालय में सुरक्षित रखेगा। ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट द्वारा स्थापित एवं संचालित संस्थाओं को आवश्यक निर्देश देगा तथा उसका पालन सुनिश्चित करेगा, ट्रस्ट के समस्त निर्णयों का क्रियान्वयन करेगा। माननीय न्यायालय, सरकार अथवा अन्यत्र कहीं भी ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगा। ट्रस्टी मण्डल के निर्णय अनुसार ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं

1184 2-11-016 1051

475

ओमकारनाथ मिश्रा ला0 नं0 17
स्टाम्प वि0 ...
सदर-प्रतापगढ़

-6-

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

27 OCT 2016

कोषा0-प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CV 382421

में कर्मचारियों के पदों का सृजन करेगा, उस पर नियुक्ति, उनका वेतन, परिश्रमिक, भत्ता तथा दैनिक मजदूरी का निर्धारण आदि कार्य करेगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित संस्था के प्रधान को देगा। वह ऐसे समस्त कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा, जो उसे ट्रस्टी मण्डल द्वारा समय–समय पर करने के लिए अधिकृत किया जायेगा। सचिव की अनुपस्थिति में कोषाध्यक्ष उस बैठक में सचिव के दायित्वों का निर्वहन करेगा।

कोषाध्यक्ष –

कोषाध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से उदारमान व्यक्तियों द्वारा दान, ट्रस्ट सम्पत्तियों का किराया, ट्रस्ट सम्पत्तियों की विक्रय धनराशि, सरकारी तथा अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा अनुदान, जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि आदि प्राप्त करेगा तथा उसे ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा करेगा तथा उसका लेखा–जोखा रखेगा। उपरोक्त राशि ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति हेतु ट्रस्टी मण्डल के निर्देशानुसार उपयोग व उपभोग की जायेगी। ट्रस्ट का वार्षिक बजट तैयार कर ट्रस्टी मण्डल की वार्षिक बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। ट्रस्टी मण्डल के समस्त वित्तीय पत्रजातों का लेखा–परीक्षण करायेगा तथा उसकी रिपोर्ट ट्रस्टी मण्डल की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करेगा। लेखा एवं बैंक सम्बन्धी समस्त पत्रजात ट्रस्ट कार्यालय में सुरक्षित रखेगा।

13. **ट्रस्टी मण्डल के अधिकार –**

1. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित ट्रस्ट के नाम खाता खोलने हेतु निर्णय लेना।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के नियमों, परिनियमों, उद्देश्यों आदि में संशोधन करना, नये नियम बनाना, तथा अनुपयोग हो चुके नियमों को समाप्त करना।
3. ट्रस्ट के कार्यों हेतु कर्मचारियों को नियुक्त करना, उनके वेतन का भुगतान करना तथा न्यायोचित कारणों से उन्हें पदच्युत करना।
4. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारियों को अन्य संचालित संस्थाओं में हस्तान्तरित (Transfer) करना।
5. ट्रस्ट अथवा उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर उन्हें दण्डित करना तथा उन्हें पदच्युत करना।

क्र0सं0 485 दिनांक 2-/11/016 कीमती 100

नाम.. ....पता

ग्राम.. .....स्थान 123

लिए प्रमाणपत्र ब्याले.................. ....है

श्रीप्रकाश मिश्र ला0 नं0 –17

स्टाम्प विक्रेता ...

सदर–इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

27 OCT 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषा0-प्रतापगढ़

CV 382420

6. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रबन्धन हेतु प्रबन्ध समिति के गठन हेतु संविधान/नियमावली बनाना तथा आवश्यकता पड़ने पर बने हुए संविधान नियमावली में संशोधन करना।
7. ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की, ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करने वाली अथवा विवादित प्रबन्ध समिति को भंग कर उनके स्थान पर दूसरी प्रबन्ध समिति का गठन करना तथा उसके गठन होने तक संस्था का प्रबन्धन ट्रस्टी मण्डल के सचिव द्वारा कराना।
8. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के समस्त वादों/विवादो का निपटारा करना।
9. ट्रस्ट के विरुद्ध समस्त वाद मा0 न्यायालय, इलाहाबाद के कार्यक्षेत्र में निहित होगा।

14. **ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं का संविधान –**

ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य शैक्षिक, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं तथा विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के गठनबन्धन एवं अन्य ट्रस्ट सम्बन्धित समितियों के सुचारू प्रबन्धन हेतु एक प्रबन्धन समिति निम्न प्रकार से गठित होगी। जिसके पदाधिकारी निम्न प्रकार होंगे–

अध्यक्ष	–	एक
उपाध्यक्ष	–	एक
प्रबंधक	–	एक
उपप्रबंधक	–	एक (मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा 3 वर्ष के लिए नामित)
कोषाध्यक्ष	–	एक
सदस्य	–	दो (मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा 3 वर्ष के लिए नामित)
संस्था का प्रधान	–	एक (पदेन)
संस्था प्रतिनिधि	–	नियमानुसार नामित।
संस्था कर्मचारी प्रतिनिधि	–	नियमानुसार नामित।

उपरोक्त प्रबन्ध समिति के पदेन एवं नामित सदस्यों को छोड़कर शेष का चयन ट्रस्टी मण्डल द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी की देख–रेख में अपने मे से ही 3 वर्ष के लिए किया जायेगा। यदि कोई पद अपने आप अथवा किन्हीं कारणों से हटा दिये जाने के फलस्वरूप

4086 7-11-06 1521
4128 4125
17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 650596

रिक्त हो जाता है, तो उस पर नये पदाधिकारी का चयन ट्रस्टियों में से ट्रस्टी मण्डल द्वारा बहुमत से शेष अवधि के लिए किया जायेगा। प्रबन्ध समिति की बैठक वर्ष में दो बार होगी, आवश्यकता पड़ने पर अन्य बैठकें भी हो सकती हैं। जिसके लिए सूचना एवं एजेण्डा एक सप्ताह पूर्व सदस्यों को प्रबन्धक द्वारा प्राप्त कराना होगा। आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक बैठक कभी भी एक दिन के अन्दर हो सकती है। आपातकाल में प्रबंधक द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया जा सकता है। जिसका बाद में प्रबंध समिति का अनुमोदन अनिवार्य होगा। इस प्रबन्ध समिति के समस्त निर्णयों से ट्रस्टी मण्डल को अवगत कराकर उसकी सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही वह उसे क्रियान्वित कर सकता है। ट्रस्टी मण्डल के निर्णयानुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्था के नाम खाता खोला जायेगा। जिसका संचालन प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

15. **प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व –**

अध्यक्ष –

प्रबन्ध समिति की बैठकों को आहुत करने के लिए प्रबन्धक को निर्देश देना, बैठकों की अध्यक्षता करना, समिति के निर्णयों की घोषणा करना। अनिर्णय की स्थिति में बैठक की कार्यवाही ट्रस्टी मण्डल को संदर्भित करना तथा उसके निर्णय प्राप्त होने पर समस्त सदस्यों को निर्णय से अवगत कराने के लिए प्रबन्धक को निर्देशित करना। उसके बाद ही प्रबन्धक उसे कार्यान्वित कर सकता है।

उपाध्यक्ष –

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन करना।

प्रबन्धक –

प्रबन्धक अध्यक्ष के निर्देश पर प्रबन्ध समिति की बैठक आहुत करेगा। तथा बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व सदस्यों को एजेण्डा सहित प्राप्त करायेगा। वह संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वह बैंक से लेन–देन, पत्र व्यवहार, न्यायालीय कार्य, नियुक्तिया, वेतन वितरण, क्रय–विक्रय, अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ आदि करेगा। वह बैठक की कार्यवाही का अभिलेखन करेगा तथा उससे सम्बन्धित समस्त पत्रजातों का रख–रखाव करेगा। संस्था अथवा प्रबंध समिति में किसी प्रकार के विवाद के सम्बन्ध में वह ट्रस्टी

407 50
17

23 623338

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 650595

मण्डल को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगा तथा ट्रस्टीमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय को कार्यान्वित करेगा।

उपप्रबन्धक –

प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगा।

कोषाध्यक्ष –

निधियों का संरक्षण करना वित्तीय नीति निर्धारण एवं वित्तीय विषयों पर संस्तुति प्रदान करना, बैंक खाते का लेखा–जोखा रखना।

16. ट्रस्ट–डीड में संशोधन –

ट्रस्टी मण्डल के 2/3 के बहुमत से ट्रस्ट–डीड में संशोधन कर सकता है। उसमें कुछ जोड़ सकता है तथा उसके कुछ अंश जो विधि सम्मत न हो, को हटा सकता है। उपरोक्त के लिए बैठक की सूचना ट्रस्टियों को कम से कम 15 दिन पूर्व प्राप्त कराना आवश्यक होगा। ट्रस्टी मण्डल मैनेजिंग ट्रस्टी को उपरोक्त संशोधनों एवं परिवर्तनों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करेगा।

अतएव मैं अपने स्वस्थ मस्तिष्क एवं होश–हवास में यह ट्रस्ट विलेख (TRUST DEKD) लिख दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

दिनांक – 6/4/2017

मैनेजिंग ट्रस्टी

[illegible]

गवाह – [illegible]
[illegible]
जिला प्रतापगढ़

गवाह –
ह० [illegible] पुत्र [illegible]
[illegible]

आज दिनांक **06/04/2017** को

बही सं. **4** जिल्द सं. **80**

पृष्ठ सं. **283** से **302** पर क्रमांक **29**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार

उप निबन्धक सदर

प्रतापगढ़

6/4/2017